न्यायालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, तहसीलदार, श्री करणपुर

प्रकरण संख्या – 29/2017

अनवान – त्रिलोक सिंह पुत्र मंगल सिंह बनाम हरखासआम।

किस्म मुकदमा – वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।

वसीयतकर्त्ता का नाम – चणन कौर पत्नी मंगल सिंह जाति मजहबी निवासी 6 डब्ल्यू, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।

–: निर्णय :–

दिनांक – 10.6.22

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

प्रार्थी त्रिलोक सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति मजहबी निवासी 6 डब्ल्यू, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की माता चणन कौर पत्नी मंगल सिंह जाति मजहबी निवासी 6 डब्ल्यू, तहसील श्री करणपुर ने चक 6 डब्ल्यू के मु.नं. 16 की 8 बीघा भूमि की वसीयत दिनांक 23.01.2008 को प्रार्थी के पक्ष में की थी, जिसका प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित वसीयत व मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता ने चक 6 डब्ल्यू के मु.नं. 16 की 2.024 हैक्ट. भूमि की वसीयत त्रिलोक सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति मजहबी निवासी 6 डब्ल्यू के नाम करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत नोटेरी पब्लिक से दिनांक 23.01.2008 को प्रमाणित है। वसीयतकर्त्ता चणन कौर पत्नी मंगल सिंह जाति मजहबी ने वसीयत पत्र में अंकित किया है कि मेरे कोई सन्तान नहीं है। मैने त्रिलोक सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति मजहबी निवासी 6 डब्ल्यू को गोद लिया हुआ है, गोद लेने के समय त्रिलोक सिंह की आयु 18 वर्ष से अधिक होने के कारण गोदनामा पंजीकृत नहीं हो सका। प्रार्थी द्वारा वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र जिसमें मृत्यु दिनांक 06.01.2009 को हुई है, पेश किया गया है।

पटवारी हल्का 25 एच दलपतसिंहपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 6 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के अनुसार खा.सं. 20 में मु.नं. 16 की 2.023 हैक्ट. भूमि चणन कौर पत्नी मंगल सिंह जाति मजहबी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। रकबा खातेदारी है, पैतृक है तथा कोई विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सिलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, रकबा रहन नहीं है, बैय नहीं है। चणन कौर लाऔलाद फौत हुई है। प्रार्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया, जिसमें त्रिलोक

Scanned with OKEN Scanner

सिंह पुत्र मंगल सिंह दर्ज है व जाति मजहबी है। मूल निवास प्रमाणपत्र व आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, राशनकार्ड में प्रार्थी गांव 6 डब्ल्यू व नाम त्रिलोक सिंह पुत्र मंगल सिंह अंकित है।

इस न्यायालय के पत्रांक व.अ./भूअ/2017 दिनांक 20.04.2017 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बाबत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक भोर के दिनांक 21.04.2022 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाहान में से चरणजीत सिंह पुत्र कर्म सिंह की मृत्यु दिनांक 11.08.2016 को हो चुकी है व दूसरे गवाह जंगीर सिंह पुत्र शिंगारा सिंह जाति मजहबी ने उपस्थित होकर शपथपत्र पेश किया कि वसीयतकर्त्ता द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा चणन कौर की वसीयत के आधार पर इन्तकाल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार कोई विवाद स्थगन नहीं है व भूमि वसीयतकर्त्ता के नाम ही है। वसीयत के गवाहान ने उपस्थित आकर बयान/शपथ पत्र पेश किया कि वसीयत उनके समक्ष हुई व वसीयत सत्य है एवं दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो एवं रहन हो तो रहन मुक्त होने पर वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार (भू–अ.),
श्री करनपुर

Scanned with OKEN Scanner